

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय  
अन्त्योदय संबल पखवाड़ा 2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर  
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा-2025

प्रकरण संख्या- 26/2025

शिविर- आदलवाड़ा कला

दिनांक:- 24/6/2025

सुनवान  
हमारा पत्र  
शरदसाल

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार  
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

:: आदेश ::



प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का आ. कला भू अ. नि. आ. कला एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशांषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम आ. कला प 0 ह 0 आ. कला की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या ११ में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1	<u>खैर का नाम</u>	<u>हंसा पुत्र अम्बालाल</u> <u>आदि मीणा छि. 1/4</u> <u>राहिन 5013 उवागा</u> <u>मान 2032</u>	<u>हंसा पुत्र अम्बालाल</u> <u>आदि मीणा छि. 1/4</u> <u>राहिन 5012 शाघा</u> <u>मान 2032</u>

उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा (स 0 मा 0)



प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री हमारा पत्र अम्बालाल श्रीमा नि आदलवाड़ा कला
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा (स 0 मा 0)